XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3829–दो/14 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवकता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का अवधि विधान के आवेदन पर सुनवाई का अवसर प्रदाय किए जाने संबंधी प्रस्तुत आवेदक को निरस्त किये जाने के विरूद्ध है । अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर आवेदक की मांग निरस्त की है कि दिनांक 31.7.14 को अवधि विधान के आवेदन का निराकरण किया जाकर अपील समयसीमा में मान्य की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आदेश विरोधी पक्ष को सुन कर दिया है, इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है । चूंकि इस प्रकरण में उनके समक्ष 18 वर्ष उपरांत अपील पेश हुई है ऐसी स्थिति में विलंब के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित किया जाना आवश्यक है । अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी को वापिस किया जाता है कि वे अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करें और तदुपरांत प्रकरण में कार्यवाही कार्यवाही विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014 रिवीजन R-3829-II/14

भंवरलाल पुत्र श्री दौलत सिंह, आयु 80 वर्ष व्यवसाय–कृषि कार्य, निवासी–ग्राम बरौदिया तहसील शमसाबाद, जिला विदिशा म.प्र.

..........प्रार्थी / याचिकाकर्ता

आज दि. 18-1-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-1-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

H.K. Agrawal
18-1-2014

1. खूब सिंह पुत्र श्री भारत सिंह, आयु 55 वर्ष
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री खूब सिंह, आयु 30 वर्ष
3. सरदार सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह, आयु 60 वर्ष
   समस्त निवासीगण–ग्राम बरौदिया तहसील शमसाबाद, जिला विदिशा म.प्र.
4. सुबोधना देवी पत्नी श्री झगललाल, आयु 20 वर्ष
5. अजय सिंह उर्फ कृष्ण पाल सिंह, आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भीकम सिंह
6. अनिल कुमार पुत्र श्री भंवरलाल, आयु 20 वर्ष
   समस्त निवासीगण–ग्राम बरौदिया तहसील शमसाबाद, जिला विदिशा म.प्र.

........प्रतिप्रार्थीगण / प्रतियाचिकाकर्तागण